

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
संख्या-1277/V-2/2019-05(आ0)/2017टी0सी0
देहरादून, दिनांक 13 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-1817/V-2/2019-05(आ0)/2017 टी0सी0, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 को अधिक्रमित करते हुये निम्नलिखित भू-भाग को हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(क) सम्पूर्ण जिला हरिद्वार का भू-भाग।


(सुनीलश्री पाथरी)
अपर सचिव

संख्या-1277/V-2/2019-05(आ0)/2017 टी0सी0, तददिनांक ।

प्रतिलिपि-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियां मुद्रित कराते हुये प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

संख्या-1277/V-2/2019-05(आ0)/2017 टी0सी0, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 7- उपाध्यक्ष/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 8- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 9- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।